

सं.आई-15014/01/19-सतर्कता/38

भारत सरकार
पत्र सूचना कार्यालय
(सतर्कता अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 05.02.2024


कार्यालय जापन

विषय: पत्र सूचना कार्यालय, (मुख्यालय) में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन।

उपर्युक्त विषय पर इस ब्यूरो के समसंख्यक कार्यालय जापन दिनांक 21.03.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया जाता है तथा समिति की संरचना निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, महानिदेशक	अध्यक्ष	दूरभाष: 23488021
2.	श्रीमती वंदना जाटव, उप निदेशक	सदस्य सचिव	दूरभाष: 23488349
3.	श्री दीप जॉय मम्पिल्ली, संयुक्त निदेशक	पुरुष सदस्य	दूरभाष: 23383545
4.	श्रीमती आंचल कटियार, मी. एवं सं. अधिकारी	सदस्य	दूरभाष: 23076356
5.	सुश्री अर्चना महतो, मी. एवं सं. अधिकारी	सदस्य	दूरभाष: 23488147
6.	सुश्री एकता पुरी, मनोचिकित्सक	बाह्य सदस्य	मोबाइल नं.91-9958290557

- यह समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में नियम - 3ग के तहत शामिल किया गया है, के अनुसरण में एक शिकायत समिति के रूप में कार्य करेगी।
- समिति के अध्यक्ष और उसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके नामांकन की तारीख से अधिकाधिक तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।
- अध्यक्ष के पास यह अधिकार होगा कि वह समिति की आवश्यकतानुसार, ब्यूरो के किसी अन्य अधिकारी को सह-योजित करने अथवा उनकी सहभागिता हेतु उन्हें आमंत्रित कर सकता है।
- गैर-सरकारी सदस्य को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क अथवा भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
- इसे प्रधान महानिदेशक (मी. एवं सं.), पत्र सूचना कार्यालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(जी. वेंकट सुब्बय्या)
निदेशक (सतर्कता)

प्रतिलिपि:-

- सभी अधिकारी - उपर्युक्त सूची के अनुसार।
- अवर सचिव (प्रशा.।।।), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
- पत्र सूचना कार्यालय के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सूचना पट्ट।